FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भीव सिंह वगै० बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा:– इजराय मुकदमा नम्बर:–07/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अह जो इस हुक्म की ता में जारी हुये
11.10.2021	वकील डिक्रीदार श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 09.11.21 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
14.11.2022	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में राज पैरोकार नायब तहसीलदार ने अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिकी व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 964 दिनांक 06.06.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.11.22 16:10:57 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	नामांतरण संख्या 964 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया)